संख्या-66/2016/आर.981/26-3-2016-100(115)/99टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2016

विषयः- अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 की लम्बित देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-486/ज.जा.वि./दशमोत्तर/2015-16, दिनांक-22.03.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यकविचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रूपया-500.00 लाख (रूपया पांच करोड़ मात्र) जिसकी शतप्रतिशत स्वीकृति पूर्व में निर्गत हो चुकी है, से उक्त योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2014-15 की 3973 अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष देयता रूपया-4,77,93,799/-(रूपया चार करोड़ सतहत्तर लाख तिरानबे हजार सात सौ निन्यानबे मात्र) के भुगतान की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-उक्त धनराशि के व्यय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवशेष केन्द्रांश प्राप्त होने पर धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि के सापेक्ष ब्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-66/2016/आर.981(1)/26-3-2016-तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)

5- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।